उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-626/ग्यारह-2-22-9(47)/17-टी.सी.194-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(244)-2022

लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-850/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(17)-2017, दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, परन्तुक में, खण्ड (एक) में, शब्द और अंक "क्रम संख्या 1", के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "क्रम संख्या 1कक" रख दिये जायेंगे;

(ii) सारणी में, क्रम संख्या 1 क्रम संख्या 1कक के रूप में पुनः संख्यांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्या 1कक के समक्ष निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।

1ड.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1च	1512	सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1छ	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ज	1514	तोरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1झ	1515	अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1ञ	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागत: या पूर्णत: हाइड्रोजनीकृत, अंत:एस्टीकृत, पुन:एस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1ट	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां ।
1ठ	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
1ड	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ढ	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1ण	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं"

2. यह अधिसूचना तारीख 18 जुलाई, 2022 को प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

18/7/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुखसचिव